उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–3
संख्या–3369/9–आ–3–97–100 वी0/97
लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 1998

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम संख्या–1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 30 सन 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम सं. 11 सन् 1973) की धारा–53 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि का भवनों के वर्ग को इस अधिनियम की धाराएं 14 तथा 15 या तद्धीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उपविधियों अथवा निदेशों से निम्नलिखित शर्तों पर छूट प्रदान करते हैं :–

(1) यह छूट भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावरों, रेडियों, इक्यूपमेंन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिए ही उपलब्ध होगी।

(2) सेवा आपरेटर द्वारा निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व आर्कीटेक्ट काउंसिल द्वारा पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित एन्टीना टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है। (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष (जिनका कुल क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर से अनाधिक होगा) भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है।

(3) प्रत्येक निर्माण से पूर्व उपरोक्त मानचित्र व प्रमाण पत्र रु. पांच हजार की अनुज्ञा फीस सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष जमा की जायेगी।

2. श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस हेतु टावर की स्थापना में विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदत्त छूट के संदर्भ में ही टावर निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा। और यदि ऐसे निर्माण में कोई विधिक प्रश्न सन्निहित होता है तो उसके सम्बन्ध में तत्काल शासन को सन्दर्भ प्रस्तुत करके शासन का निर्णय अविलम्ब प्राप्त किया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

संख्या 3369 (1)/9–आ–3–97–100 वि0/97, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में (केवल हिन्दी पाठ) में दिनांक 24 जनवरी 1993 को विद्यायी परिशिष्ठ भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशन एवं अधिसूचना की मुद्रित 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

पी. एन. सिंह
अनु सचिव

संख्या 3369 (2)/9–आ–3–97–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. श्री के0 विजय राव, एक्सक्यूटिव डायरेक्टर, एस्कोटेल मोबाइल।
ए–36 मोहन को–आपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक–3 अक्टूबर, 1997 के संदर्भ में।
3. डायरेक्टर जनरल, टेलीफोन्स, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. डायरेक्टर टेलीफोन, उत्तर प्रदेश सर्किल, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ

आज्ञा से

पी. एन. सिंह
अनु सचिव